

प्रेस विज्ञप्ति

पटना – 27 अप्रैल, 2024

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशन में बिहार राज्य निर्वाचन विभाग निष्पक्ष, स्वच्छ एवं स्वस्थ चुनाव कराने के लिए कृतसंकल्प है। एक ओर जिलों में मतदान कर्मियों का प्रशिक्षण तथा समस्त गतिविधियों के संचालन का प्रशिक्षण जोर-शोर से चालू है, साथ ही समस्त तैयारियाँ भी प्रगति पर हैं।

प्राप्त सूचनानुसार लोक सभा आम निर्वाचन, 2024 के लिए आदर्श आचार संहिता के तहत राज्य में वाहन दुरुपयोग के संदर्भ में औरंगाबाद जिलांतर्गत एक (01) केस प्रतिवेदित है। लाउडस्पीकर एक्ट के उल्लंघन के मामले में भागलपुर जिलांतर्गत एक (01) केस प्रतिवेदित है तथा तदनुसार एक (01) एफआईआर दर्ज है। अवैध बैठक/भाषण आदि के संदर्भ में नौ (09) मामले प्रतिवेदित हैं जो क्रमेण इस प्रकार हैं—औरंगाबाद जिलांतर्गत एक (01), मुजफ्फरपुर जिलांतर्गत एक (01), पूर्वी चम्पारण जिलांतर्गत पाँच (05) एवं सहरसा जिलांतर्गत दो (02)। इस संदर्भ में आठ (08) एफआईआर दर्ज हैं।

मिली जानकारी के अनुसार दिनांक 26.04.2024 को कुल ₹47.55696(लाख) रुपये नगद बरामद किये गये हैं। कुल जब्त लीकर-76221.39(लीटर) की सूचना प्राप्त हुई है जिसका मूल्य ₹117.57664(लाख) रुपये हैं। जहाँ तक ड्रग्स तथा नारकोटिक्स की बात है तो कुल ₹88.00000(लाख) रुपये मूल्य के 176000.00(ग्राम) की मात्रा जब्त की गई है। मुफ्त/अन्य सामग्रियों के तहत कुल ₹157.99408(लाख) रुपये मूल्य की 122476.72 सामग्रियों को जब्त किया गया है। इस प्रकार कुल ₹411.12768(लाख) रुपये मूल्य की जब्ती प्रतिवेदित है।

आदर्श आचार संहिता के दिनांक 16.03.2024 से लागू होने से लेकर दिनांक 26.04.2024 तक राज्य में कुल ₹578.70591(लाख) रुपये नगद बरामद किये गये हैं। कुल जब्त लीकर-1015084.04(लीटर) की सूचना प्राप्त हुई है जिसका मूल्य ₹3340.53010(लाख) रुपये हैं। जहाँ तक ड्रग्स तथा नारकोटिक्स की बात है तो कुल ₹2886.77896(लाख) रुपये मूल्य के 6731564.63(ग्राम) की मात्रा जब्त की गई है। वहीं कीमती धातुओं की बात है तो कुल ₹811.074696(लाख) रुपये मूल्य के 73106.70(ग्राम) की मात्रा जब्त की गई है। मुफ्त/अन्य सामग्रियों के तहत कुल ₹5882.89936(लाख) रुपये मूल्य की 17619461.16 सामग्रियों को जब्त किया गया है। इस प्रकार कुल ₹13500.66128(लाख) रुपये मूल्य की जब्ती प्रतिवेदित है।